ऑल इण्डिया कोटे की काउंसिलिंग के संबंध में रिपोर्टिंग सेन्टर को दिये जाने वाले दिशा–निर्देश (स्नातकोत्तर)

1– एम पी ऑनलाइन से आवंटित अभ्यर्थी रिपोर्टिंग हेतु पं0 खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में दिनांक 03/02/2023 से 05/02/2023 तथा द्वितीच चरण की रिपोर्टिंग दिनांक 16/02/2023 से 18/02/2023 तक उपस्थिति दर्ज करायेंगे। प्रत्येक दिवस प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक रिपोर्टिंग संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

2– रिपोर्टिंग सेन्टर पर उपस्थिति हेतु एक पंजीयन काउंटर बनाया जायेगा।

3– पंजीयन उपरान्त रिपोर्टिंग सेन्टर पर आश्यकतानुसार छानबीन समितियों का गठन किया जाकर उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कराया जायेगा।

4– दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त, महाविद्यालय परिसर में उपस्थित निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालय के प्रतिनिधि, अभ्यर्थी को प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे।

5– प्रवेश हेतु पात्रता म0प्र0 एम.डी. (आयुर्वेद)/एम.एस, (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022 एवं म0प्र0 एम.डी.(होम.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022 के अनुसार रहेगी।

6– निजी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की फीस की जानकारी संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा दूरभाष पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही "म0प्र0 प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल" की वेबसाइट पर भी संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7– ऑल इण्डिया काउंसिलिंग अंतर्गत प्रवेश निरस्तीकरण हेतु समय निर्धारित किया गया है। किसी भी स्थिति में निरस्तीकरण समय–सीमा के भीतर ही स्वीकार्य होगा।

8– काउंसिलिंग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में डॉ0अरविन्द पटेल, औषधालय अधीक्षक मो0नं0–79747–58826 एवं डॉ0 एस0 नफीस बानो, नोडल अधिकारी मो0नं0–99075–94874 से संपर्क कर आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

31/1/23

(डॉ0 अरविन्द कुमार पटेल)
औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0

77/d:\desktop\pankaj 2022\counselling2022\letter counselling 2022.docx